

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
आगरा मण्डल, आगरा।

सेवा में,

सचिव,  
कन्नदीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  
शिक्षा केन्द्र, 2, सामुदायिक केन्द्र  
प्रीत विहार, दिल्ली-110092

पत्रांक: एन0ओ०सी०/

/2025-26 दिनांक: १९-०६-२५


विषय:- दीदार सिंह पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जाजऊ, फतेहपुरसीकरी, किरावली, आगरा को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक: सामान्य-१ शिविर/7560-7776/2020-21 दिनांक 22 जनवरी, 2021 के साथ संलग्न माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-७, लखनऊ के शासनादेश संख्या-2144 / 15-07-2020-1(34) / 2020 दिनांक 07 जनवरी, 2021 के द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित माध्यमिक शिक्षा विभागकी सेवा माध्यमिक विद्यालयों को सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०सी०ई० बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रदान करने के सम्पूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है, जिसके क्रम में दीदार सिंह पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जाजऊ, फतेहपुरसीकरी, किरावली, आगरा को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया। उक्त ऑनलाइन प्राप्त आवेदन के सम्बन्ध में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 22.05.2025 द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त दीदार सिंह पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जाजऊ, फतेहपुरसीकरी, किरावली, आगरा को सी०बी०एस०ई० बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं हैः-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी का चरित्र गैर स्वामित्व होगा तथा समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 3- कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 4- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत रस्थान अनुसूचित जाति/जन जाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बोर्ड संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 5- शुल्क की मद एवं धनराशि के सम्बन्ध में "उत्तर प्रदेश रखित पोषित खतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018" का अनुपालन किया जायेगा।
- 6- राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेंगी।
- 7- उक्त शर्तों में राज्य सरकार/मण्डलीय समिति/शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 8- विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।
- 9- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 10- विद्यालय की प्रवन्ध समिति में शिक्षा निदेशक/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 11- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैक्रेण्ट्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर इण्डियन रकूल सर्टीफिकेट एजामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।

१२

  
Principal  
Deedar Singh Public U.M. Vidyalay  
Jajau, Agra

  
Manager  
Deedar Singh Public Uchchatar Madhyamik Vidyalaya  
Jajau, Agra

- 12— भविष्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विभाग द्वारा 'अलाभित समूह' और 'दुर्बल वर्ग' के चयनित किये गये बच्चों का धारा 12(1)(g) के अन्तर्गत प्रवेश लिया जाना बाध्यकारी होगा।
- 13— संरथा की वार्षिक आय-व्यय का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय में उपलब्ध कराया जायें।
- 14— स्कूल सुरक्षा नीति 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 15— अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र के नियमानुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुये क्रियाशील रखा जायेगा तथा नियमानुसार प्रत्येक 03 वर्ष के बाद प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण संरथा द्वारा कराया जायेगा।
- 16— माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-483/2004 अवनीश मेहरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य में पारित आदेश के क्रम में भवन सुरक्षा नियमों का पालन किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों एवं राज्य सरकार की समरत शर्तों/नियमों का पालन करना संरथा के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संरथा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों/नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है अथवा कोई तथ्य छुपाया गया संज्ञान में आता है तो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित संरथा का होगा।

भवदीय

८८८  
(मनोज कुमार गिरि)  
सदस्य सचिव एवं  
संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
आगरा मण्डल, आगरा।

पृष्ठा०संख्या: एन०ओ०सी० / ३०३० - ३८

/2025-26 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— आयुक्त (अध्यक्ष-मण्डलीय समिति) आगरा मण्डल, आगरा की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— विशेष सचिव, (मा०शि०) उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा-७ अनुभाग, लखनऊ।
- 3— जिलाधिकारी, आगरा।
- 4— शिक्षा निदेशक(मा०), उत्तर प्रदेश, 18-पार्क रोड, लखनऊ।
- 5— जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।
- 6— प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, दीदार सिंह पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जाजौ, फतेहपुरसीकरी, किरावली, आगरा।
- 7— निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
- 8— गार्ड फाइल।

सदस्य सचिव एवं  
संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
आगरा मण्डल, आगरा।

  
Principal  
Deedar Singh Public U.M . Vidyalay  
Jajau, Agra

  
Manager  
Deedar Singh Public Uchchatar Madhyamik Vidyalaya